राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45)ग्रावि–5/आवास/विविध/2015–16 जयपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों की निरीक्षण रिपोर्ट आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने बाबत्।

ग्रामीण आवासीय योजनाऐं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाऐं है, जिनके अन्तर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को देय अनुदान राशि, आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाती है। योजनान्तर्गत दासा स्तर तक का कार्य होने पर द्वितीय किश्त एवं छत का कार्य पूर्ण होने पर लाभार्थी को तृतीय किश्त दी जाती है।

लाभार्थी को किश्त हेतु निर्माण कार्य के निरीक्षण उपरान्त आवास का फोटो, निरीक्षण अधिकारी के विवरण के साथ आवाससॉफ्ट में अपलोड करना होता है। आवाससॉफ्ट के अनुसार वर्षवार, योजनावार किये गये प्रथम निरीक्षण की रिपोर्ट (संलग्न) के अनुसार आवासों का प्रथम निरीक्षण भी बकाया है, जो खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत आवासों का माह में 1 बार निरीक्षण कराकर, आवास की फोटो भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तथा गत वर्ष स्वीकृत आवासों जिनका आवाससॉफ्ट के अनुसार 1 बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है, से सम्बन्धित, दोषी प्रभारी अधिकारी, पंचायत समिति/ग्राम सेवक पदेन सचिव के विरूद्ध सख्त कार्यवाही प्रस्तावित कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस में अवगत करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

28/12/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
3. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि